सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 12- जल उपभोक्ता समिति का वित्तीय प्रबंधन

विषय 12.2- जल उपभोक्ता समिति के वित्तीय स्रोत

विषय-12.2
जल उपभोक्ता समिति के वित्तीय स्रोत

मॉड्यूल-12 के विषय :

12.1 वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव
12.2 जल उपभोक्ता समिति के वित्तीय स्रोत
12.3 जल उपभोक्ता समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाना
12.4 जल उपभोक्ता समिति का वित्तीय ऑडिट

जल उपभोक्ता समिति के आय के विभिन्न स्त्रोत (वितीय संसाधन)

जल उपभोक्ता समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने कृत्यों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस का उद्ग्रहण कर सकता है । फीस का उद्ग्रहण निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतू हो सकेगा :–

- सुविधाएँ प्रदान करने हेतू।
- विशिष्ट सुविधाओं हेतू।

- जल उपभोक्ता समिति की किन्ही भी अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति हेतु।
- जल उपभोक्ता समिति की सम्पतियां बनाने हेतू।
- सिंचाई प्रणाली के विकास हेतू।

समस्त संग्रहित फीस का उपयुक्त रसीदों के माध्यम से उचित लेखा संधारण किया जाना चाहिए। कृषक संगठन की आय के विभिन्न स्त्रोत निम्नलिखित हो सकते हैः–

- कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र में संगृहीत जल कर के अंश के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। सिंचाई जल कर के अंश के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाली राशि का निर्धारण अलग–अलग राज्यों में वहा के नियमानुसार किया जाता है। जैसे राजस्थान में जल उपभोक्ता संगम द्वारा वसूल किए गये सिंचाई कर को पहले राज्य सरकार के खातें मे जमा करवाना होता है। तदूपरान्त राज्य सरकार द्वारा जमा 50 प्रतिशत राशि कृषक संगठानों को लोटाई जाती है जिसमें से जल उपभोक्ता संगम की 85 प्रतिशत, वितरण समिति को 10 प्रतिशत एवं परियोजना समिति को 5 प्रतिशत राशि प्राप्त होती है।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रबन्धकीय अनुदान जिसमें कृषकों द्वारा अपना हिस्सा भी दिया गया हों । भारत सरकार के सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के तहत प्रबन्धकीय अनुदान दिया जाता है। रू. 1200 प्रति हेक्टेयर में से भारत सरकार द्वारा रू. 540 प्रति हेक्टेयर, राज्य सरकार द्वारा रू. 540 प्रति हेक्टेयर एवं रू. 120 प्रति हेक्टेयर कृषक सहयोग से देने का प्रावधान है।
- ऐसी अन्य निधियां जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा कार्य के विकास के लिए मंजूर की जाए।
- समिति को किसी भी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों से प्राप्त दान, उपहार, इनाम, सहायता सहयोग या अनुग्रह राशि।
- सरकार के अलावा किसी अन्य संस्था के समिति द्वारा कार्य कराने से प्राप्त सेवा शुल्क।
- समिति द्वारा सम्पादित किये जाने वाले लाभकारी वाणिज्यिक क्रियाकलापों से प्राप्त आय।

- समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित सम्पतियो, संसाधनों अथवा विशिष्ट सेवाओं के माध्यम से प्राप्त आय।
- विभिन्न सदस्यों से प्राप्त चन्दा अथवा दान राशि।
- दोषी सदस्यों से वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि।
- स्थाई जमा एवं बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की आय।
- समिति द्वारा ठेके पर किये गये कार्यो से आय।
- समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर गौशाला (डेयरी फार्म), कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म) एवं मछली पालन आदि खोलने से प्राप्त आय।
- समिति द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने कृत्यों के पालन के लिए अपने स्तर पर (आमसभा द्वारा अनुमोदित) सिंचाई शुल्क बढ़ाने से प्राप्त अतिरिक्त आय।
- समिति के क्षेत्र में घास, पेड़ की पत्तिया, फल, उपज और सूखें पेड़ की लकड़ी झाडियों आदि की नीमाली से प्राप्त आय। साधारणतया नहरी प्रणाली के निर्माण के दौरान तथा तत्पश्चात नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाता है। जिससें पर्यावरण संतुलित रहे । ये पौधे कुछ वर्षो में अच्छे छायादार वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते है । जल उपभोक्ता समिति अपने कार्यक्षेत्र में विकसित वृक्षों की सुखी पत्तियॉ, फल,

लकड़ी, सुखे वृक्ष इत्यादि को निलाम कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है तथा इस राशि को नहरी प्रणाली के विकास में उपयोग में ली जा सकती है।

नहर के किनारों पर वृक्षारोपण

- माइनर के तटबन्धों, पार्श्वस्थ भूमियों/सेवा सड़कों आदि के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहण के द्वारा प्राप्त आय। साधारणतया नहरो के किनारे की सडक़ सिंचाई अवधि के अतिरिक्त काम मे नही ली जाती है। इस सड़क के उपयोग पर कुछ राशि निर्धारित की जा सकती है। अन्य वाहन जैसे ट्रेक्टर, जीप इत्यादि द्वारा नहरी सड़क को उपयोग करने पर कुछ निर्धारित राशि वसूल की जा सकती है। नहरी सड़क के उपयोग हेतू राशि वसूल करने के निर्णय का अनुमोदन जल उपभोक्ता समिति की साधारण सभा द्वारा किया जाना आवश्यक है।

माइनर की सेवा सड़क

- कार्य क्षेत्र के भीतर जल में पैदा होने वाली फसलों जैसे सिघाडा, कमल ककडी, मछली पालन आदि के लिए प्रतियोगी नीलामी के माध्यम से वार्षिक पट्टा देने से प्राप्त आय।

- किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि। जल उपभोक्ता समिति अपने क्षेत्र कें विद्यायक निधि के अतिरिक्त महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं अन्य केन्द्रीय व राज्य योजनाओं से राशि प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है।

इस प्रकार समिति के उक्त आय के स्त्रोत समिति की सुचारू कार्य प्रणाली में अत्यधिक सहायक है तथा इन्हे आगे समिति अपनी सूझ–बूझ से विकसित कर बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है।